नोट- निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र और उनकी एक-एक प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ भेजना चाहिये (मूल प्रमाण-पत्र जाँच के उपरान्त लौटा दिये जायेंगे)।

अ. अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा पास होने का मूल अथवा प्रोव्हीजीनल प्रमाण-पत्र।

ब. यदि प्रार्थी ने इण्टरमीजिएट प्रथम द्वितीय वर्ष तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (प्री-यूनिवर्सिटी) कक्षा में अध्ययन करना छोड़ा हो तो उस संस्था के प्राचार्य का प्रमाण-पत्र।

नियम-46. **प्रव्रजन प्रमाण-पत्र**- जब किसी विद्यार्थी का अभिभावक किसी ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश दिलाना चाहे जिसने किसी अन्य राज्य की शाला में अंतिम बार अध्ययन किया हो तब प्रवेश संबंधी आवेदन-पत्र के साथ उस संस्था के जिसमें विद्यार्थी ने अन्तिम बार अध्ययन किया हो, प्रमुख द्वारा दिया गया प्रव्रजन प्रमाण-पत्र उस जिले के जिसमें यह शाला स्थित हो प्रभारी राजपत्रित शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होंगे। जब ऐसे प्रव्रजन प्रमाण-पत्र पर ऐसे प्रतिहस्ताक्षर न हों तब उस संस्था का प्रमुख जिसमें प्रवेश चाहा गया हो विद्यार्थी को ऐसी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दे सकेगा जिसमें उसे प्रवेश देना वह उचित समझे तथा संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक को सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर कराने के लिये दो माह का समय देगा।

नियम-47. **किसी भी शाला में न पढ़े हुये बालक का प्रवेश**- (1) जब किसी ऐसे बालक का अभिभावक जिसने किसी शाला में अध्ययन न किया हो बालक को प्रारंभिक कक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिये आवेदन कर तब संस्था प्रमुख उसकी लिखित परीक्षा लेने के बाद उसे ऐसी कक्षा में प्रवेश देगा। जिस कक्षा के लिये संस्था प्रमुख उसे उपयुक्त समझे।

(2) इस नियम के अंतर्गत प्रवेश देने के पूर्व संस्था के प्रधान को कक्षा 1 से 8 तक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सम्पूर्ण कार्यवाही प्रस्तुत कर उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

नियम-48. **विद्यार्थियों के साथ समानता का व्यवहार**- किसी भी विद्यार्थी को उसकी जाति, वर्ग या कर्म के कारण किसी शाला में प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जाएगा। शाला में प्रवेश ले लेने के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी के साथ पक्षपात या भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जायेगा।

नियम-49. **प्रवेश पँजी**- प्रत्येक शाला में एक प्रवेश पंजी रखी जायेगी जो फार्म 3 में होगी। प्रवेश संबंधी आवेदन-पत्र को प्रारंभिक रूप में या स्थानान्तरण या प्रव्रजन प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाते ही उस पर क्रमांक डाला जायेगा और यह क्रमांक तथा आवेदन-पत्र में दिये अन्य ब्यौरे प्रवेश पंजी में दर्ज किये जायेंगे। प्रवेश पंजी में इस प्रकार दर्ज की गई प्रविष्टियाँ संस्था प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी। स्थानान्तरण अथवा प्रव्रजन प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में प्रवेश पंजी में प्रविष्टियाँ ऐसे प्रमाण-पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ठीक-ठीक तथा सावधानीपूर्वक की जाएगी।

नियम-50. **स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र**-.(1) जब कभी उस विद्यार्थी का अभिभावक जिसे शाला में प्रवेश दिया जा चुका हो, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करें तब ऐसा प्रमाण-पत्र सिवाय उक्त मामलों के जिनमें फीस या शाला संबंधी अन्य देय रकमें उस पर बकाया निकलती हो फार्म 4 में दिया जायेगा। देय रकमें बकाया निकलने की स्थिति में अभिभावक को देय रकम की सूचना लिखित रूप में दी जाएगी और उसे यह भी सूचित किया जायेगा कि रकम प्राप्त होने पर ही प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। यदि विद्यार्थी का अभिभावक देय रकम का भुगतान करने से इंकार करें तो स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा। संस्था प्रमुख के निर्णय से असन्तुष्ट अभिभावक यथास्थिति जिला शिक्षा अधिकारी संभागीय शिक्षा अधीक्षक को अपील कर सकेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) सभी शालाओं में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र दिए जाने संबंधी प्रविष्टि करने के लिए फार्म क्रमांक 5 में एक पंजी रखी जाएगी।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

एच. एन. नेमा
संयुक्त संचालक

Scanned with OKEN Scanner

(3) आवेदन-पत्र दिये जाने पर तथा दो रुपये फीस का भुगतान करने पर स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति दी जाएगी। (शि.वि.क्र. एफ-73/5/78/बी-2/बीस दिनांक 28-2-70)

संदर्भः- म.प्र. शासन के संबंध में (कृपया देखें विद्या/एफ/3/78/654 दिनांक 11-2-80

(4) शाला त्याग प्रमाण-पत्र की प्रथम प्रति बिना किसी शुल्क के साथ दी जाए और उसके बाद तृतीय एवं चतुर्थ प्रति के लिये रु. 5/- (पाँच) शुल्क लेने की शासकीय अनुमति प्रदान की जाती है।

संदर्भः- संचालक लो.शि. क्र. विद्या/एफ/4/78/622 दिनांक 2-2-1978

नियम-51. जन्म तारीख का अभिलेख- (1) प्रवेश पंजी में पहली बार दर्ज की गई जन्म तारीख संबंधी अभिलेख की एक प्रति पिता या अभिभावक को दी जाएगी और सूचित किया जावेगा कि जन्म तिथि में परिवर्तन करने संबंधी किसी भी निवेदन पर सामान्यतः तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पर्याप्त कारणों के आधार पर न हो।

विद्यार्थी के सभी प्रगति प्रतिवेदनों (प्रोग्रेस रिपोर्ट्स) में जन्म तारीख लिखी जायेगी।

(2) यदि कोई अभिभावक यह पाये कि इस प्रकार घोषित जन्म तारीख शाला के अभिलेख प्रगति प्रतिवेदन अथवा शाला प्रमाण-पत्र में दर्ज तारीख से नहीं मिलती तो वह अशुद्धि का उल्लेख करते हुए संस्था के प्रधान को एक आवेदन-पत्र भेजेगा। लेखा संवंधी अशुद्धि के मामले में संस्था का प्रधान अभिभावक की मूल घोषणा के अनुसार प्रविष्टियों में सुधार करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और अभिभावक को तदनुसार सूचित करेगा।

नियम-52. जन्म तारीख में परिवर्तन- म.प्र. जन्मतिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि नियम, 1973 अनुसार किया जाएगा।

न्यायालयीन निर्णय

राज्य शासन के पास कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म दिनांक के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं था। सेवक ने अपने जन्म तिथि के प्रमाण में अभिलेख प्रस्तुत किये। इसे न्यायालय ने स्वीकार कर इसी के आधार पर उसे सेवा निवृत्त करना आदेशित किया गया।

लक्ष्मीनारायण अग्रवाल विरुद्ध म.प्र. राज्य 2012(1) MPHT(169) निर्णय दिनांक 11.12.2011

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

एल. एन. नेमा
संयुक्त संचालक

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट -2

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

दूरभाष ९१-०७५५-२५८३६५३ फैक्स ०७५५-२५८३६५०
ई–मेल dpividhya@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक /पी/357/आरटीई/ 2021/107 भोपाल, दिनांक 11/1/22

प्रति,

1.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

2.समस्त जिला परियोजना समन्वयक (राज्य शिक्षा केन्द्र)
मध्यप्रदेश।

विषयः– स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने विषयक्।

संदर्भः–1.कार्यालय का पत्र क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2020/2126 भोपल दिनांक 28.12.2020

2.कार्यालय का पत्र क्रमांक/विद्या/पी/357/आरटीई/2021–22/1822–23 भोपाल दिनांक 29.11.2021

विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नही दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के अनुकम में निरस्त किया गया है।ततसंबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होगें। विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा।

कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 11/1/22

पृष्ठा. क्रमांक/अकादमिक /पी/357/आरटीई/ 2021/101

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. संचालक ,राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ।

संचालक
लोक शिक्षण म.प्र

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

एच. एन. नेमा
संयुक्त संचालक

Scanned with OKEN Scanner